न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 104/2022 बउनवानी अरविन्द गुर्जर बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार ग्राम व न्यू कॉलोनी रावरा,स0मा0 रोड छापर खण्डार

GCMS No- 2022/176

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 23.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के दौरान जनता से प्राप्त कुल शिकातयो की सूची उपलब्ध करावें।
2. कृपया इन सभी शिकायतो की प्रमाणित प्रति दे।
3. इन सभी शिकायतो पर अब तक की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण।
4. नियम और कानून के अनुसार कितने समय मे प्रत्येक शिकायत का समाधान हो जाना चाहिए।
5. यदि अधिकारी इस समय सीमा का पालन नही करते तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है।
6. इनमे से प्रत्येक शिकायत के निवारण मे देरी के क्या कारण है।
7. शिकायतो के निवारण मे देर होने पर दोषी अधिकारियो के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांकप.2(21)/सूकाअ/रीडर/2022/617 दिनांक 22.9.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना सृजनात्मक, रचनात्मक होने तथा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण जरिये पत्रांक प.2(21)सूकाअ/रीडर/2022/549 दिनांक 29.8.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 7 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने, चाही [illegible] प्रश्नात्मक होने से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही [illegible] स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:38:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

TOPS
BUY 1 PARTICIPATING PRODUCT, EARN 12 BOX TOPS